कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 1( ) 2021–22/ऑडिट समिति/प्रमुवसं/ 8173 दिनांक : 23.02.2022

बैठक कार्यवाही विवरण

वन विभाग की ऑडिट समिति वर्ष 2021–22 की द्वितीय बैठक दिनांक 21.02.2022 को राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशि. संस्थान, राज. जयपुर के कॉन्फ्रेन्स हॉल में श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव, महोदया वन विभाग की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची **परिशिष्ठ 'अ'** पर संलग्न है।

सर्वप्रथम डॉ. देवराज, वित्तीय सलाहकार द्वारा महालेखाकार कार्यालय, वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग एवं वन विभाग के उपस्थित अधिकारियों तथा विडियो कान्फ्रेसिंग से ऑनलाईन जुडे हुए अधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से गत बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त एजेण्डा बिन्दुओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। बिन्दुवार समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. **जन लेखा समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति रिपोर्ट**

वित्तीय सलाहकार द्वारा यह अवगत करवाया गया कि जन लेखा समिति वर्ष 2019–20 के 49वें प्रतिवेदन की सिफारिशों की नवीनतम संवीक्षा टिप्पणी के अनुसार नवीनतम अनुपालना विकास शाखा से 16.02.2022 को प्राप्त हो गयी है तथा परीक्षण उपरान्त शीघ्र ही राज्य सरकार को प्रेषित कर दी जावेगी। जन लेखा समिति वर्ष 2007–08 के 206वें प्रतिवेदन की संवीक्षा टिप्पणी अनुसार अनुपालना अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मुख्यालय) से प्राप्त होने पर अविलम्ब ही राज्य सरकार को प्रेषित कर दी जावेगी। वर्ष 2019–20 विनियोग लेखे कि मांग संख्या 09, 030, 051 की संवीक्षा टिप्पणी अनुसार अनुपालना प्रेषित कर दी गयी। जन लेखा समिति वर्ष 2020–21 के 92वां प्रतिवेदन की संवीक्षा टिप्पणी अनुसार अनुपालना प्रेषित कर दी गई है। जन लेखा समिति वर्ष 2014–15 के 14वां प्रतिवेदन की सिफारीश संख्या 2,3 के संबंध में सभी वनाधिकारीगण को उनसे संबंधित अनुपालना अविलम्ब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. **सी.ए.जी प्रतिवेदन**

वित्तीय सलाहकार ने बताया कि सी.ए.जी. (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2017–18 में जन लेखा समिति को दिये गये आश्वासनों के उत्तर प्रेषित किये जा चुके है। वित्तीय सलाहकार द्वारा

5. चोरी, हानि एवं गबन

चोरी, हानि एवं गबन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान वित्तीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इन प्रकरणों के सम्बन्ध में काफी पत्राचार करने के उपरान्त भी इन प्रकरणों के निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पायी है एवं सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से निस्तारण की कार्यवाही नही हो रही है। संबंधित कार्यालय के नियत्रण अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर के बकाया प्रकरणों का अतिशीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया।

6. निदेशक निरीक्षण विभाग आंतरिक जांच

निदेशक, निरीक्षक विभाग के 99 आंतरिक जांच प्रतिवेदनों के 585 अनुच्छेद बकाया हैं। प्रमुख शासन सचिव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा अधिक पैरा बकाया होने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निदेशक, निरीक्षण विभाग को पालना भिजवाकर अतिशीघ्र रिपोर्ट/अनुच्छेद निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया।

7. निदेशक निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन

निरीक्षण विभाग के 271 आंतरिक जांच प्रतिवेदनों के 1131 अनुच्छेद बकाया हैं। प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा बकाया अनुच्छेद निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

8. निदेशक निरीक्षक विभाग, विशेष जांच

प्रमुख शासन सचिव ने 15 विशेष जांच प्रतिवेदनों के काफी लम्बे समय से बकाया होने पर असंतोष व्यक्त किया। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय व उप वन संरक्षक, बारां व झालावाड के लिये मुख्य वन संरक्षक, कोटा के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि आक्षेपों की व्यक्तिगत स्तर पर समीक्षा कर प्रतिवेदनों की ठोस/आक्षेपानुसार पालना वित्तीय सलाहकार को शीघ्र प्रेषित की जाए। साथ ही सभी नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पुरानी रिपोर्ट को ज्यादा गम्भीरता से लेते हुये व्यक्तिगत ध्यान देकर पालना प्रेषित की जाए। संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने पुराने आक्षेपों को विशेषकर वर्ष 2000 से पूर्व के आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना निरीक्षण विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। शेष बकाया विशेष जांच प्रतिवेदनों की शीघ्र पालना करवा कर निस्तारण की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया।

महालेखाकार द्वारा उठाए गए दोनो प्रकरणों में मूल्यांकन शाखा के अधिकारियों से जांच कराने तथा भविष्य में महालेखाकार अंकेक्षण दल को आवश्यक रिकोर्ड व सूचना उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) ने बाडमेर तथा बीकानेर कार्यालय के अधिकारियों को इन प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने तथा मूल्यांकन शाखा को जांच करने हेतु निर्देशित किया।

प्रमुख शासन सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि ऑडिट सम्बन्धी समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर पर समीक्षा कर इनके निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करावें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख) द्वारा बैठक के अन्त में सभी अधिकारियों को प्रभावी एवं ठोस अनुपालना प्रेषित कर बकाया आक्षेपों के निस्तारण में व्यक्तिगत प्रयास करने हेतु निर्देशित किया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ.डी.एन.पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1( ) 2021–22/ऑडिट समिति/प्रमुवसं/9174-830 दिनांक : 23.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितहै :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार आर्थिक एवं राजस्व लेखा राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, वन राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास/TREE/(M&E) /कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राज, जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) एवं नॉडल अधिकारी, (ऑडिट समिति), जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ठ 'अ'

विभागीय ऑडिट समिति की द्वितीय बैठक (वर्ष 2021–22) दिनांक 21.02.2022 को निदेशक, राज, वानिकी एवं वन्यजीव प्रशि. संस्थान, राज. जयपुर में उपस्थित अधिकारीगण

1. डॉ. दीप नारायण पाण्डेय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर।
2. श्री बी.प्रवीण, शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्री संजीव कुमार सुराणा, उप महालेखाकार ऑडिट –II राज. जयपुर।
4. श्रीमती ऋतु गुप्ता, संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) राजस्थान, जयपुर।
5. श्री एस.के.जैन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) एवं नॉडल अधिकारी, (ऑडिट समिति), जयपुर।
6. श्री एम. के. गर्ग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक, (RFBP) राज., जयपुर
7. श्री अरिन्दम तोमर, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रति. राज. जयपुर।
8. श्री के.सी.ए. अरूण प्रसाद, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), राजस्थान जयपुर।
9. डॉ. देवराज वित्तीय सलाहकार वन विभाग राज. जयपुर।
10. श्री विजय एन, मुख्य वन संरक्षक, विभाग कार्य जयपुर।
11. श्री पी.कथिरवेल, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर।
12. श्री आर.एस. मीना अति. निदेशक, निरीक्षण विभाग राज. जयपुर।
13. श्री पी.सी. कल्यानिया, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी महालेखाकार ऑडिट–II राज. जयपुर।
14. श्री बाल गोविन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी महालेखाकार ऑडिट–II राज. जयपुर।
15. श्री जिगनेश शर्मा, उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण जयपुर।
16. डॉ. विरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।

अन्य अधिकारीगण जिनसे विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से चर्चा की गई।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन/कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त/राज. जयपुर।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, NTFP/FCA/वन सुरक्षा/कैम्पा/सिल्वा जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–संरक्षण, जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक, कोटा/विभागीय कार्य, जयपुर/FPRP(बनास)/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर/वन्यजीव, जोधपुर/वन्यजीव, उदयपुर/वन्यजीव, कोटा/वन्यजीव, (सरिस्का), अलवर/आर.वी.पी. कोटा/बाघ परियोजना, रणथम्भौर सवाईमाधोपुर/मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)/(आयोजना)/वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुवसं, राज. जयपुर।
5. समस्त उप वन संरक्षक।